

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-551) अलेसे-1/ 945

दिनांक:- 04/09/25

आदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार बलाई (लिनक नं०-9104), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को विभागीय आदेश क्रमांक 528-531 दिनांक 25.06.2025 से निलंबित से बहाल करते हुये आदेशों की प्रतीक्षा में लिया जाकर विभागीय आदेश संख्या 27/2025-26 दिनांक 04.07.2025 द्वारा पदस्थापन कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय राजर्षि महाविद्यालय, अलवर में किया गया है।

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 528-531 दिनांक 25.06.2025 की निरन्तरता में श्री सुरेन्द्र कुमार बलाई की निलंबन अवधि दिनांक 13.01.2025 से 24.06.2025 तक को राजस्थान सेवा नियम 54(4) के अन्तर्गत समस्त प्रयोजनार्थ सेवा योग्य मानते हुये निलंबन काल में भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए एवं दिनांक 25.06.2025 से 04.07.2025 तक की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत कर्तव्य मानते हुए के सभी शेष निलम्बन अवधि एवं आदेशों की प्रतीक्षा अवधि वेतन एवं भत्तों का भुगतान कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय राजर्षि महाविद्यालय, अलवर से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

१
२

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-551) अलेसे-1/ 945

दिनांक:- 04/09/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, अलवर।
2. प्राचार्य, राजकीय राजर्षि महाविद्यालय, अलवर।
3. श्री सुरेन्द्र कुमार बलाई, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय प्राचार्य, राजकीय राजर्षि महाविद्यालय, अलवर।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।

(के. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)